रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931
No. 130] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2009

सं. भा.आ.प.-18(1)/2009-मेडि/22653.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुन: संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत :—

1. (i) इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2009 भाग II" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. खण्ड 6 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यकमों का प्रारंभण और उनकी मान्यता

1. कोई स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने या पहले से ही चलाए जा रहे किसी पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने का इच्छुक कोई संस्थान, अधिनियम की धारा 10क में यथा उल्लिखित केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करेगा।

2. जब दाखिल किए गए पहले बैच की, सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने की तारीख नियत होगी, तब संस्थान, सम्बद्ध विश्वविद्यालय के माध्यम से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की मान्यता के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन करेगा।

3. उप-खण्ड 2 में यथा अपेक्षित, समय से मान्यता प्राप्त करने में विफल रहने का परिणाम अनिवार्य रूप से यह होगा कि संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले रोक दिए जाएंगे।

4. किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को प्रदान की गई, यह मान्यता अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी। इसके पश्चात् इसका नवीकरण कराना होगा।

5. मान्यता के नवीकरण की प्रक्रिया वही होगी जो मान्यता प्रदान करने के लिए लागू होती है।

6. उप-खण्ड 4 में यथा अपेक्षित, समय से मान्यता का नवीकरण प्राप्त करने में विफल रहने का अनिवार्य रूप से परिणाम यह होगा कि संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले रोक दिए जाएंगे।

7. अनुमति पत्र की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में कालेज के पास सभी 'प्रि' और 'पारा' नैदानिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम होने चाहिए।

8. मौजूदा/नए मेडिकल कालेजों के पास अनिवार्य रूप से रक्त पृथक्कीकरण इकाई और रक्त-आधान मेडिसिन के घटक के साथ रक्त बैंक विभाग होने चाहिए।"

4. 'स्नातकोत्तर छात्रों का चयन' शीर्षक के अंतर्गत खण्ड 9 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

'(1)(क) स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के छात्रों का चयन पूरी तरह उनकी परस्पर अकादमिक मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

(ख) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें, सरकारी सेवा के उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होगी जिन्होंने 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए दूर-दराज के और कठिन क्षेत्रों में नौकरी की है।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी 2 और वर्षों के लिए दूर-दराज के और/या कठिन क्षेत्रों में नौकरी करेंगे ।

(2) 'अकादमिक मेरिट' निर्धारित करने के लिए, विश्वविद्यालय/संस्थान निम्नलिखित पद्धति अपना सकता है:

(क) राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसी राज्य में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों के समूह द्वारा आयोजित की गई 'प्रतियोगितात्मक परीक्षा' द्वारा यथा निर्धारित मेरिट के आधार पर; या

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई किसी केंद्रीयकृत प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा यथा निर्धारित मेरिट के आधार पर; या

(ग) एम बी बी एस की पहली, दूसरी और तीसरी परीक्षाओं में व्यक्तिगत संचयी निष्पादन के आधार पर, बशर्ते कि दाखिले विश्वविद्यालय-वार हों ।

या

(घ) (क) और (ग) का सम्मिश्रण बशर्ते कि जब कभी स्नातकोत्तर दाखिले के लिए 'प्रवेश परीक्षा' किसी राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकृत परीक्षण निकाय द्वारा आयोजित की जाए तो स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम अंक, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 40% होंगे :

पुन: बशर्ते कि गैर-सरकारी संस्थानों में कुल सीटों की 50% सीटें, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा भरी जाएंगी और बाकी 50% सीटें, परस्पर अकादमिक मेरिट के आधार पर संस्थान के प्रबंधन (प्रबंधनों) द्वारा भरी जाएंगी ।'

5. खण्ड 10 (2), पैरा 2 में "बशर्ते कि जहां कोई संस्थान, इन नियमों के प्रारंभण की तारीख को, तंत्रिका विज्ञान और तंत्रिका-शल्य चिकित्सा में पांच वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, ऐसे संस्थान के पास पांच वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी रहेगा ।" को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"बशर्ते कि जहां कोई संस्थान, इन नियमों के प्रारंभण की तारीख को, तंत्रिका-विज्ञान और तंत्रिका शल्यचिकित्सा में पांच वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, ऐसा संस्थान इसे बदलकर 6 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करेगा ।"

6. 'दाखिल किए जाने वाले स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या' शीर्षक के अंतर्गत खण्ड 12 (1) (2) और (3) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"1. जहां डिप्लोमा विनिर्धारित नहीं किया गया है, मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षकों और डिग्री पाठ्यक्रम के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, प्रति वर्ष प्रत्येक इकाई में प्रोफेसर के लिए 1 : 2 का और अन्य काड्रों के लिए 1 : 1 का होगा, परंतु शर्त यह होगी कि प्रति अकादमिक वर्ष प्रति इकाई, डिग्री के लिए अधिकतम 4 स्नातकोत्तर सीटें हों बशर्ते कि सामान्य विशेषज्ञताओं की इकाई हेतु 30 बिस्तरों की निर्धारित संख्या में 10 अध्यापन बिस्तरों का एक सम्पूरक जोड़ दिया जाए ।

2. जहां डिप्लोमा विनिर्धारित किया गया है, मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षकों और डिग्री पाठ्यक्रम के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, प्रति वर्ष प्रत्येक इकाई में प्रोफेसर के लिए 1 : 2 का और अन्य काड्रों के लिए 1 : 1 का होगा, परंतु शर्त यह होगी कि प्रति अकादमिक वर्ष प्रति इकाई, डिप्लोमा सहित अधिकतम 4 स्नातकोत्तर सीटें हों बशर्ते कि इकाई के लिए 30 बिस्तरों की निर्धारित संख्या में 10 अध्यापन बिस्तरों का एक सम्पूरक जोड़ दिया जाए ।

3. इकाइयों और बिस्तरों की अपेक्षिता, बेसिक और 'पारा' नैदानिक विभागों में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मामले में लागू नहीं होगी;

'बशर्ते कि उन्हीं इकाइयों, अध्यापन कार्मिकों और संरचना के प्रति, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सकों और शल्य चिकित्सकों के कालेज आदि जैसे किन्हीं अन्य स्ट्रीमों के अंतर्गत किसी अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अनुमति न हो ।'

7. खण्ड 12(4) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

1. 'स्नातकोत्तर शिक्षकों और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, प्रति वर्ष प्रत्येक इकाई में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 : 2 का और अन्य काड्रों के लिए 1 : 1 का होगा, परंतु शर्त यह होगी कि प्रति अकादमिक वर्ष प्रति इकाई पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 4 स्नातकोत्तर सीटें हों बशर्ते कि सामान्य इकाई हेतु 20 बिस्तरों की निर्धारित संख्या में 10 अध्यापन बिस्तरों का एक सम्पूरक जोड़ दिया जाए ।

'बशर्ते कि उन्हीं इकाइयों, अध्यापन कार्मिकों और संरचना के प्रति, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सकों और शल्य चिकित्सकों के कालेज आदि जैसे किन्हीं अन्य स्ट्रीमों के अंतर्गत किसी अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अनुमति न हो ।'

8. (क) पर दिए गए 'एम डी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)' शीर्षक के अंतर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 की अनुसूची में 'एविएशन मेडिसिन' का नाम बदलकर 'एम डी (एयरोस्पेस मेडिसिन)' किया जाएगा ।

9. क्रम संख्या 26 'एम डी (संधिवातरोग-विज्ञान)' का विलोप किया जाएगा ।

10. क्रम संख्या 29 पर 'एम डी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)' शीर्षक के अंतर्गत 'तपेदिक और श्वसनी मेडिसिन या फुप्फुसीय मेडिसिन' को 'श्वसनी मेडिसिन' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

11. 'एम डी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)' शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 29 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

' — आपातकालिक मेडिसिन

— संक्रामक रोग'

12. 'हृदयरोग-विज्ञान' के लिए पूर्व अपेक्षिता 'डी एम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)' शीर्षक के अंतर्गत खण्ड 'ग' में एम डी (बाल चिकित्सा) के पश्चात् क्रम संख्या 1 पर 'एम डी (श्वसनी मेडिसिन)' जोड़ा जाएगा।

13. 'जठरशोथ विज्ञान के लिए पूर्व अपेक्षिता डी एम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)' शीर्षक के अंतर्गत खण्ड 'ग' में क्रम संख्या 6 पर दिए गए 'एम डी (बाल चिकित्सा)' का विलोप किया जाएगा।

14. डी एम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) शीर्षक के अंतर्गत खण्ड 'ग' में क्रम संख्या 12 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"13. फुप्फुसीय मेडिसिन	—	एमडी (जनरल मेडिसिन) एमडी (बाल चिकित्सा) एमडी (श्वसन मेडिसिन)
14. सन्धिवात रोगविज्ञान	—	एमडी (जनरल मेडिसिन) एमडी (बाल चिकित्सा)
15. बाल एवं किशोर मनश्चिकित्सा	—	एमडी (मनश्चिकित्सा)
16. (बाल चिकित्सा) जठरशोथ विज्ञान	—	एमडी (बाल चिकित्सा)
17. बालचिकित्सा हृदयरोग विज्ञान	—	एमडी (बाल चिकित्सा)
18. हृदीय संचेतनाहर	—	एमडी (संचेतनाहर)"

15. 'एम. सीएच (मास्टर ऑफ चिरूरगिए)' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची के खण्ड 'घ' में क्रम संख्या 10 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

"11. 'पेडियाट्रिक कार्डिया' —थोरासिस वास्कुलर सर्जरी — एम एस (सर्जरी)।"

[सं. वी. 11012/4/2005-एमई (पार्ट-आई)]

लेफ्टि. क. (से.नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामत: 'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000' दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 03-03-2001, 06-10-2001, 16-03-2005, 23-03-2006, तथा 20-10-2008 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2009

No. MCI.18(1)/2009- Med./22653.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", namely :—

1. (i) These Regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2009 Part-II".

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. Clause 6 shall be substituted as under :—

"STARTING OF POST GRADUATE MEDICAL COURSES AND THEIR RECOGNITION

1. An institution intending to start a Post Graduate medical education course or to increase the annual intake capacity in an already ongoing course shall obtain prior permission of the Central Government as provided under Section 10A of the Act.
2. The institution shall apply for recognition of the Post Graduate medical qualification to the Central Government through the affiliating university, when the first admitted batch shall be due to appear for the examination to be conducted by the affiliating university.
3. Failure to seek timely recognition as required in sub-clause 2 shall invariably result in stoppage of admission to the concerned Post Graduate course.
4. The recognition so granted to a Post Graduate Course shall be for a maximum period of 5 years, upon which it shall have to be renewed.
5. The procedure for 'Renewal' of recognition shall be same as applicable for the Award of recognition.
6. Failure to seek timely renewal of recognition as required in sub-clause-4 shall invariably result in stoppage of admissions to the concerned Post Graduate course.
7. In a period of 5 years from the date of Letter of Permission the college should have all pre and para clinical Post Graduate courses.
8. The existing/new medical colleges should mandatorily have the department of Blood Bank with component of blood separation unit and Transfusion Medicine.

4. Clause 9 under the heading "Selection of Postgraduate Students", shall be substituted as under :—

"(1) (a) Students for Post Graduate medical courses shall be selected strictly on the basis of their *Inter-se* Academic Merit.

(b) 50% of the seats in Post Graduate Diploma Courses shall be reserved for Medical Officers in the Government service, who have served for at least three years in remote and difficult areas. After acquiring the PG Diploma, the Medical Officers shall serve for two more years in remote and/or difficult areas.

(2) For determining the 'Academic Merit', the University/Institution may adopt the following methodology :—

(a) On the basis of merit as determined by a 'Competitive Test' conducted by the State Government or by the competent authority appointed by the State Government or by the University/group of Universities in the same State; or

(b) On the basis of merit as determined by a centralized competitive test held at the national level; or

(c) On the basis of the individual cumulative performance at the first, second and third MBBS examinations provided admissions are University wise.

Or

(d) Combination of (a) and (c) :

Provided that wherever 'Entrance Test' for postgraduates admission is held by a State Government or a University or any other authorized examining body, the minimum percentage of marks for eligibility for admission to postgraduate medical course shall be 50 per cent for general category candidates and 40 per cent for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes :

Provided further that in Non-Governmental institutions fifty per cent of the total seats shall be filled by the Competent Authority notified by the State Government and the remaining fifty per cent by the management(s) of the institution on the basis of *Inter-se* Academic Merit.

5. In Clause 10(2) para 2 provided that where an institution, on the date of commencement of these regulations, is imparting five years training in Neurology and Neurosurgery, such institution shall continue to have five years training course shall be substituted as under :—

Provided that where an institution, on the date of commencement of these Regulations, is imparting five years training in Neurology and Neurosurgery, such institution shall alter it to six-years training course.

6. Clauses 12(1)(2) & (3) under the heading number of postgraduate students to be admitted shall be substituted as under:—

1. The ratio of recognized postgraduate teacher to the number of students to be admitted for the degree course where diploma is not prescribed shall be 1:2 for a Professor and 1:1 for other cadres in each unit per year subject to a maximum of 4 PG seats for the degree per unit per academic year provided a complement of 10 teaching beds is added to the prescribed bed strength of 30 for the unit for broad specialities.

2. The ratio of recognized postgraduate teacher to the number of students to be admitted for the degree course in broad specialities where diploma is prescribed shall be 1:2 for a Professor and 1:1 for other cadres in each unit per year subject to a maximum of 4 PG seats including diploma per unit per academic year provided a complement of 10 teaching beds is added to the prescribed bed strength of 30 for the unit.

3. The requirement of units and beds shall not apply in the case of Postgraduate degree or diploma courses in Basic and para-clinical departments :

   Provided that against the very same units, teaching personnel and infrastructure, no other postgraduate courses under any other streams like National Board of Examinations, College of Physicians & Surgeons etc. are permitted.

7. Clause 12(4) shall be substituted as under :—

1. The ratio of PG teacher to the number of students to be admitted for super specialities course shall be 1 : 2 for Professor/Assoc. Professor and 1 : 1 for remaining cadre in each unit per year subject to a maximum of 4 PG seats for the course per unit per academic year provided the complement of 10 teaching beds per seat is added to the prescribed bed strength of 20 for the unit :

   Provided that against the very same units, teaching personnel and infrastructure, no other postgraduate courses under any other streams like National Board of Examinations, College of Physicians and Surgeons etc. are permitted.

8. In Schedule to Postgraduate Medical Education Regulation, 2000 under the heading at (A) "M.D. (Doctor of Medicine)" the nomenclature of "Aviation Medicine" to be changed as MD (Aerospace Medicine).

9. Serial No. 26 MD (Rheumatology) to be deleted.

10. Under the heading M.D. (Doctor of Medicine) at SL.No.29 Tuberculosis and Respiratory Medicine or Pulmonary Medicine shall be substituted with "Respiratory Medicine".

11. Under the heading M.D. (Doctor of Medicine) the following shall be added after S.No. 29 :

"— Emergency Medicine.

— Infectious Diseases.

12. Clause C under the heading D.M. (Doctor of Medicine) prior requirement for "Cardiology" at Sl. No. 1 after MD (Paediatrics) "MD (Respiratory Medicine)" Shall be added.

13. Clause C under the heading D.M (Doctor of Medicine) prior requirement for Gastroenterology at Sl. No. 6 "MD (Paediatrics)" shall be deleted.

14. Clause C under the heading D.M (Doctor of Medicine) the following shall be added after Sl. No. 12 :—

"13.	Pulmonary Medicine	— MD (General Medicine) MD (Paediatrics) MD (Resp. Medicine)
14.	Rheumatology	— MD (General Medicine) MD (Paediatrics)
15.	Child and Adolescent Psychiatry	— MD (Psychiatry)
16.	Paediatrics Gastroenterology	— MD (Paediatrics)
17.	Paediatrics Cardiology	— MD (Paediatrics)
18.	Cardiac Anaesthesia	— MD (Anaesthesia)"

15. Clause D to the Schedule under the heading "M.Ch. (Master of Chirurgie)." The following shall be added after Sl. No. 10 :—

"11 "Paediatric Cardio" – Thoracic Vascular Surgery – M.S. (Surgery)."

[No. V. 11012/4/2005-ME-(P-I)]

Lt. Col. (Retd.) Dr. ARN SETALVAD, Secy.

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 7th October, 2000, and amended vide MCI notification dated. 3-3-2001, 6-10-2001, 16-3-2005, 23-3-2006 and 20-10-2008.

2718 GI/09-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.